नियत फीस – अनुसूची-II

अनुच्छेद, विशिष्टियाँ एवं समुचित फीस	01.11.1961 से	30.03.1977 से	01.04.1987 से	18.05.1987 से
(1) (2)			(3)	
1. (i) देशज संपरिवर्तित विवाह विघटन अधिनियम, 1866 (1866 का केंद्रीय अधिनियम 2) के अधीन वाद में अर्जी	**दस रुपये**	**दस रुपये**	**[1]एक सौ रुपये**	**दस रुपये[2]**
(ii) अर्जी, वादपत्र या अपील का ज्ञापन जबकि मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम, 1939 (1939 का केंद्रीय अधिनियम 8) के अधीन किसी न्यायालय को उपस्थापित किया जाए	**बीस रुपये**	**बीस रुपये**	**[1]एक सौ रुपये**	**बीस रुपये[2]**
(iii) भारतीय विवाह-विच्छेद अधिनियम, 1869 (1869 का केंद्रीय अधिनियम 4) के अधीन अर्जी जिससे उस अधिनियम की धारा 44 के अधीन अर्जी और उस अधिनियम की धारा 55 के अधीन प्रत्येक अपील का ज्ञापन अपवर्जित है	**बीस रुपये**	**बीस रुपये**	**[1]एक सौ रुपये**	**बीस रुपये[2]**
(iv) पारसी विवाह एवं विवाह-विच्छेद अधिनियम, 1936 (1936 का केंद्रीय अधिनियम 3) के अधीन वाद-पत्र या अपील ज्ञापन या उस का अधिनियम की धारा 37 के अधीन किया गया प्रतिदावा	**बीस रुपये**	**बीस रुपये**	**[1]एक सौ रुपये**	**बीस रुपये[2]**
(v) विशेष विवाह अधिनियम, 1954 (1954 का केंद्रीय अधिनियम 43) या हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 (1955 का केंद्रीय अधिनियम 25) के अधीन अर्जी या अपील का ज्ञापन	**बीस रुपये**	**बीस रुपये**	**[1]एक सौ रुपये**	**बीस रुपये[2]**

स्पष्टीकरण – *यदि इन खंडों में से किसी खंड के अधीन आने वाली किसी अर्जी या वाद में नुकसानी के लिए कोई विनिर्दिष्ट दावा है, तो दावाकृत नुकसानी की रकम पर अनुसूची I के अनुच्छेद 1 में विनिर्दिष्ट दरों पर पृथक् फीस प्रभारित की जाएगी।*

1. राजस्थान वित्त अधिनियम, 1987 (1.4.1987) की धारा 21 द्वारा प्रतिस्थापित। (देखें अधिसूचनाएँ पृष्ठ 79-80)

2. राजस्थान न्यायालय फीस एवं वाद मूल्यांकन (संशोधन) अधिनियम, 1987 (18.5.1987) की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

अनुच्छेद, विशिष्टियाँ एवं समुचित फीस	01.11.1961 से	30.03.1977 से	01.04.1987 से	18.05.1987 से
(1) (2)			(3)	
2. भारतीय विवाह-विच्छेद अधिनियम, 1869 (1869 का केंद्रीय अधिनियम 4) की धारा 49 के अधीन परिवचन	**एक रुपया**	**एक रुपया**	**एक रुपया**	**एक रुपया**
3. किसी आदेश की अपील का ज्ञापन जिसके अंतर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का केंद्रीय अधिनियम 5) की धारा 47 या धारा 144 के अधीन किसी प्रश्न को अवधारित करने वाला आदेश भी आता है और जिसके बारे में अन्यथा उपबंधित नहीं किया गया है, जबकि (निम्नलिखित को) उपस्थापित किया जाए–				
(i) उच्च न्यायालय से भिन्न किसी न्यायालय को या राजस्व बोर्ड या मुख्य कार्यपालक प्राधिकारी से भिन्न किसी कार्यपालक अधिकारी को	**एक रुपया**	**एक रुपया**	**[1]दस रुपये**	**एक रुपया[2]**
(ii) राजस्व बोर्ड या मुख्य कार्यपालक प्राधिकारी को	**दो रुपये**	**दो रुपये**	**[1]बीस रुपये**	**बीस रुपये**
(iii) उच्च न्यायालय को किसी आदेश की–				
(1) जहाँ आदेश किसी अधीनस्थ न्यायालय या अन्य प्राधिकारी द्वारा पारित किया गया था–				
(क) यदि आदेश किसी वाद या कार्यवाही, जिसका मूल्य एक हजार रूपये से अधिक है, से संबंधित है	**दो रुपये**	**दस रुपये**	**[1]पचास रुपये**	**दस रुपये[2]**
(ख) किसी अन्य मामले में	**पाँच रुपये**	**पाँच रुपये**	**[1]पच्चीस रुपये**	**पाँच रुपये[2]**
(2) जहाँ अपील तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन राजस्थान उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के निर्णय की है–				

1. राजस्थान वित्त अधिनियम, 1987 (1.4.1987) की धारा 21 द्वारा प्रतिस्थापित। (देखें अधिसूचनाएँ पृष्ठ 79-80)

2. राजस्थान न्यायालय फीस एवं वाद मूल्यांकन (संशोधन) अधिनियम, 1987 (18.5.1987) की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

अनुच्छेद, विशिष्टियाँ एवं समुचित फीस (1) (2) (3)	01.11.1961 से	30.03.1977 से	01.04.1987 से	18.05.1987 से
(क) अपीली अधिकारिता के प्रयोग में पारित आदेश की	**दस रुपये**	**दस रुपये**	**[1]पचास रुपये**	**दस रुपये[2]**
(ख) किसी अन्य मामले में	**एक सौ रुपये**	**एक सौ रुपये**	**एक सौ रुपये**	**एक सौ रुपये**
(3) जहाँ अपील बैंककारी कम्पनी अधिनियम, 1949 (1949 का केंद्रीय अधिनियम 10) की धारा 45-ख के अधीन है	**एक सौ रुपये**	**एक सौ रुपये**	**एक सौ रुपये**	**एक सौ रुपये**
(4) जहाँ अपील दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का केंद्रीय अधिनियम 5) की धारा 411-क (दंड प्रकिया संहिता, 1973 (1974 का केंद्रीय अधिनियम 2) की धारा 374 (1) के अधीन है	**पाँच रुपये**	**पाँच रुपये**	**पाँच रुपये**	**पाँच रुपये**
(iv) अपील के कानूनी अधिकार के अनुसरण में राज्य सरकार को, जिसके बारे में किसी अन्य अधिनियमिति के अधीन कोई फीस उद्ग्रहणीय नहीं है	**पाँच रुपये**	**पाँच रुपये**	**[1]पचास रुपये**	**पाँच रुपये[2]**
4. माध्यस्थम् अधिनियम, 1940 (1940 का केन्द्रीय अधिनियम 40) की धारा 39 के अधीन अपील के ज्ञापन पर-				
(i) जहां अधिकारिता के लिए मूल्य 5,000 रुपये से अधिक नहीं है;	**पंन्द्रह रुपये**	**पंन्द्रह रुपये**	**पंन्द्रह रुपये**	**पंन्द्रह रुपये**
(ii) अन्य किसी मामले में	**एक सौ रुपये**	**एक सौ रुपये**	**एक सौ रुपये**	**एक सौ रुपये**
5. किसी निर्णय या आदेश जो कोई डिक्री नहीं है या डिक्री का प्रभाव नहीं रखता है की प्रतिलिपि या अनुवाद-				
जबकि ऐसा निर्णय या आदेश उच्च न्यायालय से भिन्न किसी सिविल न्यायालय द्वारा या किसी राजस्व न्यायालय या कार्यालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा या किसी अन्य न्यायालय या न्यायिक या कार्यपालक प्राधिकारी द्वारा पारित किया जाए				

1. राजस्थान वित अधिनियम, 1987 (1.4.1987) की धारा 21 द्वारा प्रतिस्थापित। (देखें अधिसूचनाएँ पृष्ठ 79-80)
2. राजस्थान न्यायालय फीस एवं वाद मूल्यांकन (संशोधन) अधिनियम, 1987 (18.5.1987) की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

अनुच्छेद, विशिष्टियाँ एवं समुचित फीस (1) (2) (3)	01.11.1961 से	30.03.1977 से	01.04.1987 से	18.05.1987 से
(क) यदि रकम या विषय-वस्तु का मूल्य पचास रुपये से कम है	**पचास नए पैसे**	**[1]एक रुपया**	**[2]पाँच रुपये**	**एक रुपया[3]**
(ख) यदि ऐसी रकम या मूल्य पचास रुपये से अधिक है	**एक रुपया**	**एक रुपया**	**[2]पाँच रुपये**	**एक रुपया[3]**
जबकि ऐसा निर्णय या आदेश उच्च न्यायालय द्वारा पारित किया जाए	**दो रुपये**	**दो रुपये**	**[2]पाँच रुपये**	**दो रुपये[3]**
6. किसी दांडिक न्यायालय के किसी निर्णय या आदेश की प्रतिलिपि या अनुवाद	**पचास नए पैसे**	**[1]एक रुपया**	**[2]दो रुपये**	**एक रुपया[3]**
7. किसी डिक्री या आदेश जो डिक्री का प्रभाव रखता है, की प्रतिलिपि-				
जबकि ऐसी डिक्री या आदेश उच्च न्यायालय से भिन्न किसी न्यायालय द्वारा किया जाता है-				
(क) यदि रकम या वाद जिसमें ऐसी डिक्री या आदेश किया जाता है, की विषय वस्तु का मूल्य पचास या पचास रुपये से कम है	**पचहत्तर नए पैसे**	**[1]एक रुपया**	**[2]पाँच रुपये**	**एक रुपया[3]**
(ख) यदि ऐसी रकम या मूल्य पचास रुपये से अधिक है	**एक रुपया पचास पैसे**	**[1] दो रुपया**	**[2]पाँच रुपये**	**एक रुपया[3]**
जब ऐसी डिक्री या आदेश उच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है	**पाँच रुपये**	**पाँच रुपये**	**पाँच रुपये**	**पाँच रुपये**
8. राजस्थान स्टांप विधि (अनुकूलन) अधिनियम, 1952 (1952 का राजस्थान अधिनियम 7) के अधीन स्टांप शुल्क के दायित्वाधीन किसी दस्तावेज की प्रतिलिपि जबकि वाद या कार्यवाही के किसी पक्षकार द्वारा मूल वापस लेकर उसके स्थान पर छोड़ी जाए-				
(क) जबकि मूल पर प्रभार्य स्टांप शुल्क एक रुपये से अधिक नहीं है	**— मूल पर प्रभार्य शुल्क की रकम —**			
(ख) किसी अन्य मामले में	**एक रुपया**	**एक रुपया**	**एक रुपया**	**एक रुपया**
9. किसी राजस्व या न्यायिक कार्यवाही या आदेश की प्रतिलिपि, जिसके लिए				

1. राजस्थान वित्त अधिनियम, 1977 (1977 का राजस्थान अधिनियम 5) की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित (30.3.1977 से प्रवृत्त)।
2. राजस्थान वित्त अधिनियम, 1987 (1.4.1987) की धारा 21 द्वारा प्रतिस्थापित। (देखें अधिसूचनाएँ पृष्ठ 79-80)
3. राजस्थान न्यायालय फीस एवं वाद मूल्यांकन (संशोधन) अधिनियम, 1987 (18.5.1987) की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

अनुच्छेद, विशिष्टियाँ एवं समुचित फीस (1) (2) (3)	01.11.1961 से	30.03.1977 से	01.04.1987 से	18.05.1987 से
इस अधिनियम के द्वारा अन्यथा उपबंध नहीं किया गया है, या किसी न्यायालय या किसी लोक अधिकारी के कार्यालय से लिये किसी लेखे, विवरण रिपोर्ट या ऐसी ही अन्य दस्तावेजों की प्रतिलिपि प्रत्येक दस्तावेज के लिए।	**पचहत्तर पैसे**	**[1]एक रुपया**	**[2]पाँच रुपये**	**एक रुपया[3]**
10. (क) मोटर वाहन अधिनियम, 1939 (1939 का केंद्रीय अधिनियम 4) के अध्याय 4 [मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का केंद्रीय अधिनियम 59) के अध्याय 4] के अधीन उपस्थापित आवेदन या अर्जी				
(i) जबकि प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी या उसके अध्यक्ष या सचिव को उपस्थापित किया जाए	**दो रुपया पचास पैसे**	**[1]तीन रुपये**	**[2]पच्चीस रुपये**	**दस रुपये[3]**
(ii) जबकि राज्य परिवहन प्राधिकारी या उसके अध्यक्ष या सचिव को उपस्थापित किया जाए	**पाँच रुपये**	**पाँच रुपये**	**[2]पचास रुपये**	**पन्द्रह रुपये[3]**
(ख) किसी स्थान की सफाई या अभिवृद्धि के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियम के अधीन किसी कार्यपालक अधिकारी को उपस्थापित आवेदन या अर्जी, यदि आवेदन या अर्जी मुख्य रूप से ऐसी सफाई या अभिवृद्धि संबंधी है	**पच्चीस नए पैसे**	**[1]एक रुपया**	**[2]पाँच रुपये**	**एक रुपया[3]**
(ग) किसी बोर्ड या कार्यपालक अधिकारी को उपस्थापित ऐसे बोर्ड या अधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश की या ऐसे कार्यालय में के अभिलेख पर के किसी अन्य दस्तावेज की प्रतिलिपि या अनुवाद के लिए आवेदन या अर्जी	**पच्चीस नए पैसे**	**[1]एक रुपया**	**[2]पाँच रुपये**	**एक रुपया [3]**
(घ) किसी वन अधिकारी को किसी वन ठेकेदार द्वारा पट्टा की कालावधि के बढ़ाए जाने के लिए आवेदन–				

1. राजस्थान वित्त अधिनियम, 1977 (1977 का राजस्थान अधिनियम 5) की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित (30.3.1977 से प्रवृत्त)।

2. राजस्थान वित्त अधिनियम, 1987 (1.4.1987) की धारा 21 द्वारा प्रतिस्थापित। (देखें अधिसूचनाएँ पृष्ठ 79-80)

3. राजस्थान न्यायालय फीस एवं वाद मूल्यांकन (संशोधन) अधिनियम, 1987 (18.5.1987) की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

अनुच्छेद, विशिष्टियाँ एवं समुचित फीस (1) (2) (3)	01.11.1961 से	30.03.1977 से	01.04.1987 से	18.05.1987 से
(i) यदि पट्टा की विषय वस्तु का मूल्य रुपये 5,000/–रुपये या कम है	**पाँच रुपये**	**[1]पाँच रुपये**	**दस रुपये[1]**	**दस रुपये**
(ii) यदि ऐसा मूल्य रुपये 5,000/–रुपये से अधिक है, 5,000/–रुपये से अधिक प्रत्येक 1,000/–रुपये या उसके भाग पर	**एक रुपया**	**एक रुपया**	**पाँच रुपये[1]**	**पाँच रुपये**
(ङ) प्राइवेट दस्तावेजों जिनका भारत के बाहर उपयोग में लिया जाना आशयित है, के अनुप्रमाणन के लिए आवेदन	**एक रुपया**	**एक रुपया**	**पाँच रुपये[1]**	**पाँच रुपये**
(च) व्यपगत जमा के लिए आवेदन जो रकम के सरकार को व्यपगत होने की तारीख के छह मास पश्चात् उपस्थापित किया जाए				
(i) जबकि रकम या जमा रुपये 50/– से अधिक नहीं है,	**पचास नए पैसे**	**[3]एक रुपया**	**[1]पाँच रुपये**	**[2]एक रुपया**
(ii) जबकि रकम या जमा रुपये 50/– से अधिक है किन्तु एक हजार रुपये से अधिक नहीं है,	**एक रुपया**	**एक रुपया**	**[1]पाँच रुपये**	**[2]एक रुपया**
(iii) जब वह रुपये 1,000/– से अधिक है	**दो रुपये**	**दो रुपये**	**[1]दस रुपये**	**[2]दो रुपये**
(छ) राज्य सरकार को उपस्थापित आवेदन या अर्जी और जिसके बारे में अन्यथा उपबंधित नहीं है–				
(i) जिसमें विधि या विधि का प्रभाव रखने वाले नियम द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग या अप्रयोग अंतर्ग्रस्त है	**दो रुपये**	**दो रुपये**	**[1]दस रुपये**	**[2]दो रुपये**
(ii) अन्य मामलों में	**पचास नए पैसे**	**[3]एक रुपया**	**[1]दस रुपये**	**[2]एक रुपया**
(ज) राजस्व बोर्ड या मुख्य कार्यपालक प्राधिकारी को उपस्थापित कोई आवेदन या अर्जी और जिसके बारे में अन्यथा उपबंधित नहीं है–				

1. राजस्थान वित्त अधिनियम, 1987 (1.4.1987) की धारा 21 द्वारा प्रतिस्थापित। (देखें अधिसूचनाएँ पृष्ठ 79-80)

2. राजस्थान न्यायालय फीस एवं वाद मूल्यांकन (संशोधन) अधिनियम, 1987 (18.5.1987) की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

3. राजस्थान वित्त अधिनियम, 1977 (1977 का राजस्थान अधिनियम 5) की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित (30.3.1977 से प्रवृत्त)।

अनुच्छेद, विशिष्टियाँ एवं समुचित फीस (1) (2) (3)	01.11.1961 से	30.03.1977 से	01.04.1987 से	18.05.1987 से
(i) जिसमें विधि या विधि का प्रभाव रखने वाले नियम द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग या अप्रयोग अंतर्ग्रस्त है	दो रुपये	दो रुपये	[1]दस रुपये	[2]दो रुपये
(ii) अन्य मामलों में	एक रुपया पचास पैसे	[3]दो रुपये	[1]दस रुपये	[2] दो रुपये
(झ) आवेदन या अर्जी जो खंड (छ) या खंड (ज) के अंतर्गत नहीं आती है और किसी लोक अधिकारी को या किसी लोक कार्यालय में उपस्थापित की जाती है और जिसके बारे में अन्यथा उपबंधित नहीं है–				
(i) जिसमें विधि या विधि का प्रभाव रखने वाले नियम द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग या अप्रयोग अंतर्ग्रस्त है	एक रुपया	एक रुपया	[1]पाँच रुपये	[2]एक रुपया
(ii) अन्य मामलों में	पच्चीस नए पैसे	एक रुपया[3]	पाँच रुपये[2]	एक रुपया[1]
11. (क) किसी न्यायालय को ऐसे न्यायालय द्वारा पारित किसी निर्णय, डिक्री या अन्य कार्यवाही या आदेश या ऐसे न्यायालय में के अभिलेख पर के किसी अन्य दस्तावेज की प्रतिलिपि या अनुवाद के लिए उपस्थापित आवेदन या अर्जी	पन्द्रह नए पैसे	[3]एक रुपया	पाँच रुपये[2]	एक रुपया[1]
[1](ख) मूल सिविल अधिकारिता के प्रधान सिविल न्यायालय से भिन्न किसी सिविल न्यायालय को या राजस्थान लघुवाद न्यायालय अध्यादेश, 1950 (1950 का राजस्थान अध्यादेश 8) के अधीन गठित किसी लघुवाद न्यायालय को किसी वाद या मामले जिसमें रकम या विषय वस्तु का मूल्य रुपये 50/- से कम है, के संबंध में उपस्थापित आवेदन या अर्जी	पच्चीस नए पैसे	[3]एक रुपया	[1]पाँच रुपये	[2]एक रुपया
(ग) किसी न्यायालय को आवेदन कि किसी अन्य न्यायालय से अभिलेख मँगाया जाए, जबकि न्यायालय आवेदन मंजूर करता है और उसकी यह राय है	आवेदन पर उद्गृहणीय फीस के अतिरिक्त पचहत्तर	आवेदन पर उद्गृहणीय फीस के अतिरिक्त	[1] पाँच रुपये	[2] एक रुपया

1. *राजस्थान वित्त अधिनियम, 1987 (1.4.1987) की धारा 21 द्वारा प्रतिस्थापित। (देखें अधिसूचनाएँ पृष्ठ 79–80)*
2. *राजस्थान न्यायालय फीस एवं वाद मूल्यांकन (संशोधन) अधिनियम; 1987 (18.5.1987) की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।*
3. *राजस्थान वित्त अधिनियम, 1977 (1977 का राजस्थान अधिनियम 5) की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित (30.3.1977 से प्रवृत्त)।*

अनुच्छेद, विशिष्टियाँ एवं समुचित फीस (1) (2) (3)	01.11.1961 से	30.03.1977 से	01.04.1987 से	18.05.1987 से
कि ऐसे अभिलेखों के परेषण में डाक का उपयोग अंतर्ग्रस्त है	नए पैसे	एक रुपया[3]		
(घ) किसी न्यायालय को उपस्थापित किसी भू-स्वामी द्वारा उसके अभिधारी को संदत्त किए जाने वाले प्रतिकर की रकम के अवधारण के लिए आवेदन या अर्जी	एक रुपया	एक रुपया	[1]पाँच रुपये	[2]एक रुपया
(ङ) किसी अपराध जिसके बारे में पुलिस दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती है, से भिन्न अपराध के बारे में किसी दांडिक न्यायालय को उपस्थापित लिखित परिवाद या आरोप और दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का केंद्रीय अधिनियम 5) अब–दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केंद्रीय अधिनियम 2) के अधीन लेखबद्ध किया गया किसी ऐसे अपराध का मौखिक परिवाद	एक रुपया	एक रुपया	[1]पाँच रुपये	[2]एक रुपया
(च) किसी न्यायालय को या किसी मजिस्ट्रेट को उसकी कार्यपालक हैसियत में उपस्थापित आवेदन या अर्जी और जिसके बारे में अन्यथा उपबंधित नहीं है	पचास नए पैसे	[3]एक रुपया	[1] पाँच रुपये	एक रुपया
(छ) निर्णय से पूर्व गिरफ्तारी या कुर्की के लिए या अस्थायी व्यादेश के लिए आवेदन–				
(i) जबकि किसी वाद या कार्यवाही के संबंध में उच्च न्यायालय से भिन्न किसी सिविल न्यायालय को उपस्थापित किया जाए	एक रुपया	एक रुपया	[1]पाँच रुपये	[2]एक रुपया
(ii) जबकि उच्च न्यायालय को उपस्थापित किया जाए	पाँच रुपये	पाँच रुपये	[1] दस रुपये	[2]पाँच रुपये
(ज) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का केंद्रीय अधिनियम 5) की धारा 47 और आदेश 21, नियम 58 और 90 के अधीन आवेदन या अर्जी–				

1. *राजस्थान वित्त अधिनियम, 1987 (1.4.1987) की धारा 21 द्वारा प्रतिस्थापित। (देखें अधिसूचनाएँ पृष्ठ 79–80)*
2. *राजस्थान न्यायालय फीस एवं वाद मूल्यांकन (संशोधन) अधिनियम, 1987 (18.5.1987) की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।*
3. *राजस्थान वित्त अधिनियम, 1977 (1977 का राजस्थान अधिनियम 5) की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित (30.3.1977 से प्रवृत्त)।*

अनुच्छेद, विशिष्टियाँ एवं समुचित फीस	01.11.1961 से	30.03.1977 से	01.04.1987 से	18.05.1987 से
(1) (2) (3)				
(i) जबकि उच्च न्यायालय के अधीनस्थ किसी न्यायालय में फाइल की जाए	**एक रुपया**	**एक रुपया**	**[1]पाँच रुपये**	**[2]एक रुपया**
(ii) जबकि उच्च न्यायालय में फाइल की जाए	**पाँच रुपये**	**पाँच रुपये**	**[1]दस रुपये**	**[2]पाँच रुपये**
(झ) भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 (1882 का केंद्रीय अधिनियम 2) की धारा 34, 72, 73 और 74 के अधीन आवेदन या अर्जी	**पाँच रुपये**	**पाँच रुपये**	**[1]दस रुपये**	**[2]पाँच रुपये**
(ञ) (i) भारत में सर्वत्र प्रभावी होने वाले प्रोबेट या प्रशासन-पत्रों के लिए आवेदन	**पच्चीस रुपये**	**पच्चीस रुपये**	**पच्चीस रुपये**	**पच्चीस रुपये**
(ii) प्रोबेट या प्रशासन-पत्रों जो खंड (1) के अधीन नहीं आते हैं, के लिए आवेदन-				
(1) यदि संपदा का मूल्य रुपये 1,000/- से अनधिक है	**एक रुपया**	**एक रुपया**	**एक रुपया**	**एक रुपया**
(2) जब मूल्य रुपये 1,000/- से अधिक है	**पाँच रुपये**	**पाँच रुपये**	**पाँच रुपये**	**पाँच रुपये**
परन्तु यदि केविएट दाखिल की जाती है और आवेदन वाद के रूप में रजिस्टर किया जाता है, आवेदन पर पहले ही संदत्त फीस को कम करते हुए संपदा के बाजारी-मूल्य पर अनुसूची-I के अनुच्छेद 1 में विहित फीस के मापमान की आधी उद्गृहीत की जाएगी।				
(ट) मूल अर्जियाँ जिनके बारे में अन्यथा उपबंधित नहीं है, जब फाइल की जाएँ-				
(i) उच्च न्यायालय के अधीनस्थ किसी न्यायालय में	**दो रुपये**	**दो रुपये**	**[1]दस रुपये**	**[2]दो रुपये**
(ii) उच्च न्यायालय में	**दस रुपये**	**दस रुपये**	**[1]पचास रुपये**	**[2]दस रुपये**
(ठ) माध्यस्थम् अधिनियम, 1940 (1940 का केंद्रीय अधिनियम 10) के अधीन किसी अधिनिर्णय के अपास्त किए जाने के लिए आवेदन-				

1. राजस्थान वित्त अधिनियम, 1987 (1.4.1987) की धारा 21 द्वारा प्रतिस्थापित। (देखें अधिसूचनाएँ पृष्ठ 79-80)

2. राजस्थान न्यायालय फीस एवं वाद मूल्यांकन (संशोधन) अधिनियम, 1987 (18.5.1987) की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

अनुच्छेद, विशिष्टियाँ एवं समुचित फीस	01.11.1961 से	30.03.1977 से	01.04.1987 से	18.05.1987 से
(1) (2) (3)				
(1) यदि अधिनिर्णय की विषय वस्तु का मूल्य रुपये 5,000/- से अनधिक है	**पच्चीस रुपये**	**पच्चीस रुपये**	**पच्चीस रुपये**	**पच्चीस रुपये**
(2) यदि ऐसा मूल्य रुपये 5,000/- से अधिक है किन्तु रुपये 10,000/- से अनधिक है	**एक सौ रुपये**	**एक सौ रुपये**	**एक सौ रुपये**	**एक सौ रुपये**
(3) यदि ऐसा मूल्य रुपये 10,000/- से अधिक है	**दो सौ पचास रुपये**	**दो सौ पचास रुपये**	**दो सौ पचास रुपये**	**दो सौ पचास रुपये**
(ड) माध्यस्थम् अधिनियम, 1940 (1940 का केंद्रीय अधिनियम 10) की धारा 14 या धारा 20 के अधीन किसी अधिनिर्णय के फाइल किए जाने के लिए या किसी करार के फाइल किए जाने के आदेश के लिए आवेदन और विदेशी अधिनिर्णयों के प्रवर्तित किए जाने के लिए आवेदन-				
(i) यदि अधिनिर्णय की विषय वस्तु का मूल्य रुपये 5,000/- से अनधिक है	**पन्द्रह रुपये**	**पन्द्रह रुपये**	**पन्द्रह रुपये**	**पन्द्रह रुपये**
(ii) यदि ऐसा मूल्य रुपये 5,000/- से अधिक है किन्तु रुपये 10,000/-से अनधिक है	**एक सौ रुपये**	**एक सौ रुपये**	**एक सौ रुपये**	**एक सौ रुपये**
(iii) यदि ऐसा मूल्य रुपये 10,000/-से अधिक है	**दो सौ पचास रुपये**	**दो सौ पचास रुपये**	**दो सौ पचास रुपये**	**दो सौ पचास रुपये**
(ढ) किसी अधिवक्ता या वकील के प्रवेश के लिए उच्च न्यायालय को अर्जी	**बीस रुपये**	**बीस रुपये**	**बीस रुपये**	**बीस रुपये**
(ण) प्रेस (आक्षेपणीय सामग्री) अधिनियम, 1951 (1951 का क्रेन्द्रीय अधिनियम 56) की धारा 24 के अधीन उच्च न्यायालय को उपस्थापित आवेदन	**पचास रुपये**	**पचास रुपये**	**पचास रुपये**	**पचास रुपये**
(त) किसी वाद या कार्यवाही से उद्भूत सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का केंद्रीय अधिनियम 5) की धारा 115 के अधीन, राजस्थान लघुवाद न्यायालय अध्यादेश, 1950 (1950 का राजस्थान अध्यादेश 8) की धारा 23 या किसी अन्य अधिनियम के उपबंधों के अधीन उच्च न्यायालय को उपस्थापित पुनरीक्षण अर्जी-				

अनुच्छेद, विशिष्टियाँ एवं समुचित फीस (1) (2) (3)	01.11.1961 से	30.03.1977 से	01.04.1987 से	18.05.1987 से
(i) यदि वाद या कार्यवाही, जिससे आदेश जिसका पुनरीक्षित किया जाना ईप्सित है, संबंधित है, का मूल्य रुपये 1,000/- से अनधिक है	**पाँच रुपये**	**पाँच रुपये**	**[1]पच्चीस रुपये**	**[2]पाँच रुपये**
(ii) यदि ऐसा मूल्य रुपये 1,000/- से अधिक है	**दस रुपये**	**दस रुपये**	**[1]पचास रुपये**	**दस रुपये**
(थ) भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का केंद्रीय अधिनियम 1) धारा 391, 439 और 522 के अधीन कंपनी के परिसमापन के संबंध में आवेदन	**एक सौ रुपये**	**एक सौ रुपये**	**एक सौ रुपये**	**एक सौ रुपये**
(द) उच्च न्यायालय को बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट से भिन्न किसी रिट के लिए संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन कोई अर्जी या संविधान के अनुच्छेद 227 के अधीन कोई अर्जी	**पच्चीस रुपये**	**पच्चीस रुपये**	**[1]एक सौ रुपये**	**[2]पच्चीस रुपये**
(ध) उच्च न्यायालय को उपस्थापित आवेदन या अर्जी और जिसके बारे में अन्यथा विनिर्दिष्टत: उपबंधित नहीं है	**दो रुपये**	**दो रुपये**	**[1]पच्चीस रुपये**	**[2]दो रुपये**
(न) निम्नलिखित में से किसी पद के बारे में किसी व्यक्ति के निर्वाचन को आक्षेपित करने वाली निर्वाचन अर्जी				
(i) किसी स्थानीय प्राधिकरण का सदस्य	**दस रुपये**	**दस रुपये**	**[1]पचास रुपये**	**पचास रुपये**
(ii) नगरपालिका बोर्ड का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या ग्राम पंचायत का सरपंच या पंच या न्याय पंचायत का अध्यक्ष	**पच्चीस रुपये**	**पच्चीस रुपये**	**[1]एक सौ रुपये**	**एक सौ रुपये**
(iii) किसी पंचायत समिति का प्रधान या उप-प्रधान या किसी जिला परिषद का प्रमुख या उप-प्रमुख या नगरपालिक परिषद का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष	**पचास रुपये**	**पचास रुपये**	**[1]दो सौ पचास रुपये**	**दो सौ पचास रुपये**
12. अकिंचन के रूप में वाद लाने की इजाजत के लिए आवेदन	**पचहत्तर नए पैसे**	**एक रुपया**	**एक रुपया**	**एक रुपया**

1. राजस्थान वित्त अधिनियम, 1987 (1.4.1987) की धारा 21 द्वारा प्रतिस्थापित। (देखें अधिसूचनाएँ पृष्ठ 79-80)

2. राजस्थान न्यायालय फीस एवं वाद मूल्यांकन (संशोधन) अधिनियम, 1987 (18.5.1987) की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

अनुच्छेद, विशिष्टियाँ एवं समुचित फीस (1) (2) (3)	01.11.1961 से	30.03.1977 से	01.04.1987 से	18.05.1987 से
13. अकिंचन के रूप में अपील करने की इजाजत के लिए आवेदन-				
(i) जबकि उच्च न्यायालय के अधीनस्थ किसी न्यायालय को उपस्थापित किया जाए	**एक रुपया**	**एक रुपया**	**एक रुपया**	**एक रुपया**
(ii) जबकि उच्च न्यायालय को उपस्थापित किया जाए	**दो रुपये**	**दो रुपये**	**दो रुपये**	**दो रुपये**
14. दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का केंद्रीय अधिनियम 5) अब दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केंद्रीय अधिनियम 2) या सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का केंद्रीय अधिनियम 5) की किसी धारा के अधीन किसी न्यायालय या मजिस्ट्रेट द्वारा किए गए किसी आदेश के अनुसरण में दिए गए जमानत पत्र या बाध्यता की अन्य लिखत और जिसके बारे में इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित नहीं है।	**पचहत्तर नए पैसे**	**[1]एक रुपया**	**एक रुपया**	**एक रुपया**
15. पावर ऑफ अटर्नी की प्रत्येक प्रतिलिपि जबकि किसी वाद या कार्यवाही में फाइल की जाए	**पचहत्तर नए पैसे**	**[1]एक रुपया**	**एक रुपया**	**एक रुपया**
16. मुख्तारनामा या वकालतनामा जबकि किसी एक मामले के संचालन के लिए उपस्थापित किया जाए-				
(क) उच्च न्यायालय से भिन्न किसी सिविल या दांडिक न्यायालय को या किसी राजस्व न्यायालय को या किसी कलक्टर या मजिस्ट्रेट, या अन्य कार्यपालक अधिकारी सिवाय उनके जो कि इस अनुच्छेद के खंड (ख) और (ग) में उल्लिखित है, को	**पचास नए पैसे**	**[1]एक रुपया**	**[2]दो रुपये**	**[3]एक रुपया**

1. राजस्थान वित्त अधिनियम, 1977 (1977 का राजस्थान अधिनियम 5) द्वारा प्रतिस्थापित (30.3.1977 से प्रवृत्त)।

2. राजस्थान वित्त अधिनियम, 1987 (1.4.1987) की धारा 21 द्वारा प्रतिस्थापित। (देखें अधिसूचनाएँ पृष्ठ 79-80)

3. राजस्थान न्यायालय फीस एवं वाद मूल्यांकन (संशोधन) अधिनियम, 1987 (18.5.1987) की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।